कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश

220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष 0755-2559537, EPABX- 2559345, 2559346, 2559347, 2559348 Fax- 2550972

Email: prirevcom@mp.gov.in, Website: www.prc.mp.gov.in

क्रमांक/ /PRC/IT/2024-IT Cell-PRC/5001 भोपाल, दिनांक 6-8-2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय:- **RCMS Portal में साइबर तहसील 2.0 Module का उपयोग करने के संबंध में**

संदर्भ:- **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-5/2022/सात/7 दिनांक 10.08.2023 एवं 31.05.2024 I**

***

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना तथा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 की कंडिका-4 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 109 की उप धारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप-क में, निष्पादक की घोषणा प्ररूप-क-1, में दावेदार की घोषणा प्रारूप-क-2 में तथा मामले की फीस की रसीद के साथ, रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाईट पर ऑनलाईन भेजी जावेगी। ऐसी प्रज्ञापना, भूमि में अधिकारों या हितों के अर्जन के बारे में, धारा 109 के अधीन यथा अपेक्षित रिपोर्ट मानी जाएगी।

IGRS से प्राप्त उपरोक्त प्रज्ञापना पर RCMS में नामांतरण प्रकरण मद अ-6 में क्षेत्रीय तहसीलदार के दायरे में पंजीबद्ध हो जावेगा। ऐसे पंजीकृत विक्रय पत्र जो आंशिक खसरे के संबंध में। क्षेत्रीय तहसीलदार के लिए संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाईन किए जाने हेतु RCMS पर Cyber Tehsil 2.0 माड्यूल तैयार किया गया है।

2. इस Module को प्रयोग में लाने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

2.1 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रज्ञापना प्रस्तुत किया जाना :- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विक्रय पत्र निष्पादन के समय निष्पादक की घोषणा प्रारूप क-1, दावेदार की घोषणा प्रारूप क-2 भी भरवाऐगा और मामले की फीस की रसीद, विक्रय पत्र के साथ प्रज्ञापना प्रारूप-क में साईबर तहसीलदार को प्रेषित करेगा। ऐसे मामले, जिनमें आंशिक खसरा संख्यांक अंतरित हो रहें है और परिणाम स्वरूप प्रश्नाधीन खसरा या भूखण्ड विभाजित हो रहे है, क्षेत्रीय न्यायालय की वाद सूची में प्रदर्शित होगें ।

6/8/24

2.2 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा दस्तावेज के निष्पादक व दावेदार को सूचना पत्र की तामीली :- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दस्तावेज के निष्पादन के समय ही निष्पादक एवं दावेदार को साइबर तहसीलदार की ओर से जारी सूचना पत्र प्रारूप- च की प्रति उपलब्ध करायेगा। इस सूचना पत्र में प्रकरण का विचारण साइबर तहसीलदार के समक्ष किये जाने और यदि कोई आपत्ति है तो उसे प्रस्तुत किये जाने की लिंक उपलब्ध कराई गई है।

2.3 आवेदन का क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची में प्रदर्शित होना :- कंडिका 2.1 में वर्णित प्रकार के विक्रय विलेख जो साइबर तहसील के लिए अनुज्ञेय है, IGRS के माध्यम से क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची में प्रदर्शित होने लगेंगे। क्षेत्रीय तहसीलदार, जहाँ पर की प्रश्नाधीन भूमि अवस्थित है, कि वाद सूची में दर्ज होंगे और उन्हे क्षेत्रीय तहसीलदार की वाद सूची से ही प्रकरण क्रमांक प्राप्त होगा।

2.4 क्षेत्रीय तहसीलदार के लॉगिन पर प्रारूप-क, क (1) एवं क (2) तथा मामले की फीस की रसीद के साथ प्रदर्शित होंगे। क्षेत्रीय तहसीलदार इन्हें प्राप्त प्रक्रियाधीन प्रकरण में जाकर देख सकता है। सिस्टम के द्वारा जनरेट इनिशियल आर्डर शीट बटन पर क्लिक करने से आर्डर शीट जनरेट हो जाती है और प्रकरण प्रक्रियाधीन प्रकरण' वाले ब्लाक में प्रदर्शित होने लगता है।

2.5 प्रकरण में सार्वजनिक सूचना/ इश्तहार जारी हो जाता है और यह (1) क्षेत्रीय तहसीलदार के रीडर लॉगिन पर (2) पटवारी के सारा लॉगिन पर (3) आरसीएमएस के होमपेज के ई-नोटिस मेन्यू में प्रदर्शित होने लगता है। क्षेत्रीय तहसीलदार का रीडर इश्तहार का प्रिंट लेकर तहसील कार्यालय के सूचना पटल, संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर तामिली करवायेगा और इस आशय की सूचना रीडर लॉगिन पर चैकबाक्स के माध्यम से टिक करके देगा।

2.6 सार्वजनिक नोटिस का SMS के माध्यम से संप्रेषण :- सिस्टम द्वारा RCMS के माध्यम से सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्ररूप-ख में किया जायेगा। इसी के साथ RCMS के द्वारा संबंधित ग्राम के या वार्ड के यथास्थिति 20 से अन्यून अन्य व्यक्तियों को S.M.S. के माध्यम से उनके मोबाइल पर सार्वजनिक सूचना का प्रेषण किया जायेगा, जिसमें उपलब्ध कराई गई लिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली आपत्ति दर्ज कराये जाने की सुविधा होगी। आयुक्त भू-अभिलेख के द्वारा प्रत्येक तिमाही में मोबाइल नंबरों का डाटाबेस कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल को अद्यतन कराया जायेगा।

2.7 आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना :- कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित नामांतरण में निहित है, और वह आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह ऐसी आपत्ति आरसीएमएस पोर्टल के होमपेज के ई-नोटिस मेन्यू में जाकर दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। ऑफलाईन आपत्ति पटवारी या क्षेत्रीय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। पटवारी प्राप्त आपत्ति को अपने प्रतिवेदन के साथ अपलोड कर क्षेत्रीय तहसीलदार को प्रेषित करेगा।

6/8/24

2.8 प्रकरण का क्षेत्रीय तहसीलदार के पास निराकरण हेतु प्रेषण :- आपत्ति प्राप्त होते ही या साइबर तहसीलदार के द्वारा कंडिका-2.1 में वर्णित रीति के विक्रय पत्र न होने की दशा में या पटवारी प्रतिवेदन में प्रतिकूल टीप अंकित होने पर, निराकरण के लिये प्रकरण को क्षेत्रीय तहसीलदार के द्वारा अगली पेशी हेतु नियत कर मामले में उचित सुनवाई करेगी।

2.9 पटवारी प्रतिवेदन :- सिस्टम के द्वारा इश्तहार जारी करते ही पटवारी की SAARA लॉगिन पर प्रारूप-क, क-1 क-2 एवं विक्रय विलेख प्रदर्शित होंगे। पटवारी अपना प्रतिवेदन/ संबंधित खसरा नक्शा ड्राफ्ट आनलाईन सारा एप के माध्यम से क्षेत्रीय तहसीलदार को प्रेषित करेगा। पटवारी के द्वारा विहित समयावधि में, जो कि प्रथम वार की दशा में 10 दिवस की है. प्रतिवेदन संबंधित खसरा नक्शा ड्राफ्ट प्रस्तुत ना करने की दशा में स्मरण कराने के लिए मेमो सारा एप पर प्राप्त होगा। मेमो प्राप्ति के उपरांत 3 दिवस के भीतर पटवारी को अपना प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रेषित करना अनिवार्य है।

2.10 आदेश पारित किया जाना और भू-अभिलेखों में अमल :- पटवारी प्रतिवेदन खसरा नक्शा ड्राफ्ट प्राप्त होते ही प्रकरण, क्षेत्रीय तहसीलदार को आदेशार्थ नियत किया जायेगा और निर्धारित तिथि को आदेश उनके ई-हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। आदेश जारी करते ही भू-अभिलेखों में अमल स्वतः ही हो जायेगा और भूमि के क्रेता/ दावेदार को आदेश और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति E-mail के माध्यम से प्रेषित हो जायेगी, जिसे Open कर वह आदेश और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति डाउनलोड कर सकेगा।

2.11 समीक्षा :- समस्त प्रक्रिया की समीक्षा (पंजीयन से प्रकरण के निराकरण तक) किए जाने हेतु तहसीलदार डैशबोर्ड पर कुल प्राप्त प्रकरण, निराकृत प्रकरण, लंबित प्रकरण से संबंधित विवरण उपलब्ध होगा जहां तदनुसार अवलोकन एवं पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

2.12 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 में यथा विहित साइबर तहसील 2.0 के माड्यूल का यूजर मैन्यूल www.rcms.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

(अनुभा श्रीवास्तव) 6/8/24

प्रमुख राजस्व आयुक्त

क्रमांक /PRC/IT/2024-IT Cell-PRC /5002 भोपाल, दिनांक 6-8-2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ ।
4. समस्त संभागयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल ।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला (समस्त) मध्यप्रदेश की और आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार, जिला (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6/8

प्रमुख राजस्व आयुक्त